[2022] 1 एस. सी. आर. 523

/

मेसर्स बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम.

डिप्टी लेबर कमिश्नर और ए. एन. आर. (2022 की सिविल अपील संख्या 813)

/

फरवरी, 04 2022

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:s.33C (2)-नियोक्ता से देय धन की वसूली-गंभीर विवाद जो प्रतिवादी नं.2 अपीलार्थी के कर्मचारी के रूप में काम किया था-श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार-प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रम न्यायालय के समक्ष एस के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था।33(ग) (2) वेतन के अंतर की मांग करते हुए 01.04.2006 से 31.03.2012-यह प्रतिवादी संख्या 2 का मामला था कि वह अपीलार्थी के साथ एक विक्रेता के रूप में काम कर रहा था-हालाँकि, अपीलार्थी ने एक स्पष्ट रुख अपनाया कि प्रतिवादी संख्या 2 को अपीलार्थी द्वारा कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था-आयोजितःएक बार जब अपीलार्थी द्वारा एक गंभीर विवाद उठाया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 विक्रेता के रूप अंतर्गत कार्यरत नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दावा किया गया था, उसके बाद श्रम विधि के लिए विवादित प्रश्नों पर विचार करने और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पर निर्णय लेने के लिए खुला नहीं था।33(ग) (2), श्रम न्यायालय के पास कोई अधिकारिता नहीं है और वह हकदारी के विवाद या श्रमिकों के दावे के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है-यह केवल उस निर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है-श्रम न्यायालय की अधिकारिता एस के अंतर्गत है।33(ग) (2) एक निष्पादन न्यायालय की तरह है-श्रमिकों के विवादित दावे के पूर्व निर्णय या मान्यता के बिना विधि के तय किए गए पूर्वनिर्धारण के अनुसार, श्रमिकों द्वारा दावा किए गए मजदूरी के बकाया और/या मजदूरी के अंतर की गणना के लिए कार्यवाही एस के अंतर्गत बनाए रखने योग्य नहीं होगी।33(ग) अधिनियम की धारा (2)।

/

/

/

/

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:**जब इस मुद्दे पर कोई पूर्व निर्णय नहीं हुआ था कि क्या प्रत्यर्थी संख्या **2** विक्रेता के रूप में कार्यरत था जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या **2** द्वारा दावा किया गया था और एक गंभीर विवाद उठाया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या **2** कभी भी विक्रेता के रूप में कार्यरत नहीं था और प्रत्यर्थी संख्या **2** द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था वे ए थे

/

523

524 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 1 एस. सी. आर.

अपीलार्थी द्वारा गंभीर रूप से विवादित और अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि वे दस्तावेज जाली और/या झूठे हैं**,** इसके बाद श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **33 (**सी**) (2)** के अंतर्गत आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। श्रम न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या **2** को संदर्भ के माध्यम से उचित कार्यवाही शुरू करने और उसके अधिकार को स्पष्ट करने और/या निर्णय लेने के लिए निर्वासित करना चाहिए था। इसलिए**,** श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **33 (**सी**) (2)** के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उच्च न्यायालय ने तथ्यों की सराहना नहीं की है और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **33 (**सी**) (2)** के अंतर्गत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे में आए बिना इसकी पुष्टि की है। **[**पैरा **7] [527-**जी**-**एच**; 528-**ए**-**सी**]**

/

/

दिल्ली नगर निगम बनाम गणेश रजाक और

एन. आर. (2006) 9 एससीसी 292:[2006] 3 एस. सी. आर. 48; संघ

एल. आर. द्वारा भारत और एक अन्य बनाम कांकुबेन (मृत) और

अन्य (1995) 1 एस. सी. सी. 235:[1994] 4 पूरक।एस. सी. आर. 617-पर निर्भर।

/

संदर्भित निर्णय

[2006] 3 एससीआर **48**

पर विश्वास किया

पैरा **3.1 [1994] 4** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 617** पैरा **6** पर निर्भर था।

/

सिविल अपीलीय अधिकारिता सिविल अपील No.813

2022.

2018 के रिट-सी No.33482 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.11.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

विशाल यादव, अजय पाल, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

डॉ. विनोद कुमार तिवारी, प्रमोद तिवारी, विवेक तिवारी, सुश्री प्रियंका दुबे, डी. एन. दुबे, मनिंद्र दुबे, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. ए में न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 14.11.2018 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

/

525

मेसर्स बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम डिप्टी लेबर कमिश्नर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

इलाहाबाद ने 2018 की रिट याचिका में, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय IV, यू. पी., कानपुर नगर के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. उस प्रत्यर्थी संख्या 2 ने विविध मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया।2012 का मामला No.26 01.04.2006 से 31.03.2012 तक मजदूरी के अंतर की मांग करता है।उक्त आवेदन को यहां अपीलार्थी द्वारा कर्मचारी-नियोक्ता के किसी भी संबंध से इनकार करते हुए चुनौती दी गई थी।अपीलार्थी का यह स्पष्ट रुख था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को इसके द्वारा कभी शामिल नहीं किया गया था।श्रम न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने मामले के समर्थन में डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-6 को प्रदर्शित करने वाले दस्तावेजों पर भरोसा किया कि उन्होंने

प्रतिष्ठान में एक विक्रेता के रूप में काम किया था।कि 28.11.2017 दिनांकित आदेश द्वारा विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय ने उक्त आवेदन को अनुज्ञात और इसमें अपीलार्थी को 01.04.2006 से 31.03.2012 के वेतन के अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया जैसा कि आवेदन में दावा किया गया है।2.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है जिसने वर्तमान अपील को जन्म दिया है।

/

/

/

/

3. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री विशाल यादव ने जोरदार ढंग से कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में गलती की है।

/

3.1 अपीलार्थी की ओर से श्री यादव ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि जब अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के संबंध में एक गंभीर मुद्दा उठाया गया था और यह गंभीर रूप से विवादित था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 किसी भी समय विक्रेता के रूप में कार्यरत था, तो श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन पर विचार/अनुमति नहीं देनी चाहिए थी क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत संदर्भ में इसका निर्णय लिया जा सकता था। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।इसलिए,

/

/

उच्च न्यायालय को इसे दरकिनार कर देना चाहिए था।दिल्ली नगर निगम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

बनाम। गणेश रजाक और ए**.** एन**.** आर**., (1995) 1** एस**.** सी**.** सी**. 235** और भारत संघ और एक अन्य बनाम। कानकुबेन **(**मृत**)** एल**.** आर**.** एस**.** और अन्य द्वारा**, (2006) 9**

एस. सी. सी. 292, उनकी इस दलील के समर्थन में कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत एक कार्यवाही में, श्रम न्यायालय हकदारी के विवाद या दावे के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है और यह केवल उस निर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है।3.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपील की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है।

/

4. प्रतिवादी (ओं) की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. विनोद कुमार तिवारी ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में प्रतिवादी संख्या 2 को रिकॉर्ड पर रखा गया है, जिसका नाम डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-6 है, यह दिखाने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थी के साथ सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी आवेदन में दावा किए गए वेतन में भुगतान किए जाने वाले दायित्व अंतर से बाहर निकलने के लिए एक झूठा मामला लेकर आया था।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब साक्ष्य की सराहना और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने पर श्रम न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रेता के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद अपीलार्थी को मजदूरी के अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि श्रम न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर लिया है।

/

/

/

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब उपलब्ध अभिलेख के सामने श्रम न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 2 अपीलार्थी के विक्रेता के रूप में कार्यरत था, और श्रम न्यायालय के समक्ष दावे में 01.04.2006 से 31.03.2012 की अवधि के लिए वेतन/वेतन में अंतर पाया गया था, तो श्रम न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

/

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. शुरुआत में यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें मजदूरी को 01.04.2006 से 31.03.2012 में अंतर करने की मांग की गई। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से यह मामला था कि वह अपीलार्थी के साथ सेल्समैन के रूप में काम कर रहा था।हालाँकि, अपीलार्थी ने एक स्पष्ट रुख अपनाया था कि प्रतिवादी संख्या 2 को अपीलार्थी द्वारा कभी भी नियुक्त नहीं किया गया था।यह विशेष रूप से ए की ओर से मामला था।

/

/

527

मेसर्स बॉम्बे केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम डिप्टी लेबर कमिश्नर [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अपीलार्थी कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने कभी भी प्रतिष्ठान में विक्रेता के पद पर काम नहीं किया था। इसलिए, एक बार जब यह गंभीर विवाद हुआ कि प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी के कर्मचारी के रूप में काम किया था और अपीलार्थी द्वारा एक बहुत ही गंभीर विवाद उठाया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 2 विक्रेता के रूप में कार्यरत नहीं था जैसा कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दावा किया गया था, उसके बाद श्रम न्यायालय के लिए विवादित प्रश्नों पर विचार करने और अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध पर निर्णय लेने के लिए खुला नहीं था।विधि के तय किए गए प्रस्ताव के अनुसार, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत एक आवेदन में, श्रम न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वह हकदारी के विवाद या श्रमिकों के दावे के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है।यह केवल उस निर्णय या समझौते की व्याख्या कर सकता है जिस पर दावा आधारित है।जैसा कि इस न्यायालय ने गणेश रजाक और अन्य (उपर्युक्त) के मामले में कहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निष्पादन अदालत के समान है।श्रमिकों के विवादित दावे के पूर्व निर्णय या मान्यता के बिना विधि के तय किए गए पूर्वनिर्धारण के अनुसार, श्रमिकों द्वारा दावा किए गए मजदूरी के बकाया और/या मजदूरी के अंतर की गणना के लिए कार्यवाही औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत बनाए रखने योग्य नहीं होगी। (नगर निगम देखें।

/

/

/

दिल्ली बनाम गणेश रजाक और अन्र। (1995) 1 एससीसी 235)।

कानकुबेन (उपर्युक्त) के मामले में, यह देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि जब भी कोई कर्मचारी अपने नियोक्ता से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार होता है जिसकी गणना धन के संदर्भ में की जा सकती है और जिसे वह अपने नियोक्ता से प्राप्त करने का हकदार है और जिसे इस तरह के लाभ से वंचित किया जाता है, तो वह आई. डी. अधिनियम की धारा 33-सी. (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। यह भी देखा गया है कि आई. डी. अधिनियम की धारा 33-सी (2) के अंतर्गत लागू किया जाने वाला लाभ अनिवार्य रूप से पहले से मौजूद लाभ या पहले से मौजूद अधिकार से प्राप्त लाभ है।एक ओर पहले से मौजूद अधिकार या लाभ और दूसरी ओर न्यायपूर्ण और उचित माने जाने वाले अधिकार या लाभ के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है।पहला श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है जो आई. डी. अधिनियम की धारा 33-सी (2) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करता है जबकि दूसरा नहीं करता है।

/

/

7. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित विधि को हाथ में मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, जब इस मुद्दे पर कोई पूर्व निर्णय नहीं था कि क्या प्रतिवादी संख्या 2 विक्रेता के रूप में कार्यरत था जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दावा किया गया था और एक गंभीर विवाद उठाया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 कभी भी विक्रेता के रूप में कार्यरत नहीं था और दस्तावेज़ों पर प्रतिवादी ने भरोसा किया था।

/

/

नं. 2 अपीलार्थी द्वारा गंभीर रूप से विवादित था और अपीलार्थी की ओर से यह मामला था कि वे दस्तावेज जाली और/या झूठे हैं, इसके बाद श्रम न्यायालय को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत आवेदन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। श्रम न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 को संदर्भ के माध्यम से उचित कार्यवाही शुरू करने और उसके अधिकार को स्पष्ट करने और/या निर्णय लेने के लिए निर्वासित करना चाहिए था।इसलिए, श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों की सराहना नहीं की है और

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के दायरे और दायरे में आए बिना इसकी पुष्टि की है।

/

/

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अपील सफल होती है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश के साथ-साथ विविध मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (सी) (2) के अंतर्गत श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश।2012 का मामला No.26 इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी भी अन्य उपाय का लाभ उठाने के लिए निर्वासित किया जाता है जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें अपीलार्थी के कर्मचारी के रूप में उसके अधिकार पर निर्णय लेने का संदर्भ भी शामिल है जैसा कि उसने दावा किया है।जब और जब ऐसी कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं तो उन पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर और किसी भी तरह से वर्तमान आदेश से प्रभावित हुए बिना विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस न्यायालय ने अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के पहलू पर किसी भी पक्ष के पक्ष में कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। वर्तमान अपील की अनुज्ञात उपरोक्त टिप्पणियों और उपरोक्त सीमा तक दी गई है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं।

/

/

/

/

अपील अनुज्ञात ।

/

/